

**THE KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION  
CENTRAL MUNICIPAL OFFICE BUILDINGS  
5, S.N. BANERJEE ROAD, KOLKATA-700 013.**

**Municipal Commissioner's Office.**

Dated: 17/03/17

**Municipal Commissioner's Circular No. 803 of 2016-17**

**Sub: Amendments in Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950.**

Please find enclosed herewith a copy of Gazette of India, Extraordinary No. 878, Part-II-Section 3-Sub-Section (i) containing G.S.R.1166(E) dated 22.12.2016 for information and compliance.

Rule 50 stands amended w.e.f. 01/01/2017 whereby the wage limit for coverage of an employee under sub-clause (b) of clause (9) of sub-section 2 of the Act shall be Twenty one thousand rupees a month. The first Proviso to Rule 50 also stands amended accordingly.

  
MUNICIPAL COMMISSIONER  
**Municipal Commissioner**  
The Kolkata Municipal Corporation

Distribution:

1. P.A. to Hon'ble Chairman/Mayor/Dy. Mayor/Members, Mayor-in-Council
2. All Joint Municipal Commissioners
3. All Controlling Officers
4. All Heads of the Departments

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 878]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 878]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1166(ब).—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने हेतु कतिपय प्रारूप नियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 957(अ), दिनांक 6 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिस तारीख को सरकारी राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थीं, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई गई थी।

और जबकि उक्त सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 6 अक्तूबर, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

और जबकि उनसे संभवतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के उपरान्त, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

- 1 (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) तृतीय संशोधन नियम, 2016 कहे जाएंगे।  
(2) ये 1 जनवरी, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में, नियम 50 में, दो स्थानों पर आने वाले "पंद्रह हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "इकतीस हजार रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एस-38012/02/2013-सा.सु.-I]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

